तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्री प्रेमकुमार बनाम श्री केशर** **440/2017 (जीसीएमएस नं. 2017/00398)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.09.21	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित, उन्होने प्रकरण में तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 7, 8, 10 से 12, 15 व 17 की तलबी आवश्यक ना होना अवगत कराते हुए प्रकरण में अंतिम बहस सुनने हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात् अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट का दौराने बहस मुख्य रूप से कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की बिना बहस सुने ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 पारित किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का दौरान बहस कथन रहा है कि यदि दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई व सहमति हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 21/9/21 (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	